संख्या 403/2023/आई/313839/41-1099/77/2022-204(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ :: दिनांक 10 मई, 2023**

विषयः- आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शंकुल हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० एवं श्रीमंत जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज (वर्तमान में मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०) के बीच हुए अनुबन्ध अवधि को 30 वर्षों हेतु विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-156/जे०पी० होटल/2022, दिनांक 18.08.2022 एवं अपने पत्र सं0-82/जे०पी० एसोसिएट/2023, दिनांक 13.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संशोधित लीज डीड उपलब्ध कराते हुए अनुबन्ध अवधि को 30 वर्षों हेतु विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण में वित्त विभाग का परामर्श निम्नवत् हैः-

- They should clarify the nature of the lease with the lessee. Whether this is an "operating lease", wherein the lease payments are recorded as expenses; OR is it a "capital lease" wherein these assets are recorded in the company's balance sheet as an asset.
- The Department is also advised; that while during resolution there may no problems since the aim of the resolution process is to keep the business running; but in case of resolution process failure the process enters into the "liquidation" phase, wherein the assets are disposed and the proceeds are distributed to financial and operational creditors in a hierarchy prescribed under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 wherein the dues and rights of the Government and other para-statals like local bodies and Power Corporation are subordinated to other creditors.
- It should not be the case that since the land leased to JP Hotel is on their balance sheet and during liquidation this asset is alienated from the Government. They should ensure that necessary clauses under the renewed lease be incorporated to prevent alienation of this land during liquidation.
- This lease arrangement is not a very desirable configuration; the Department should explore possibilities of selling this land to the Hotel at the market value

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

as the same does not seem to have any other alternative use and the Government will continue to lease this asset in perpetuity.

- Leasing is a very complicated arrangement in the present context of IBC 2016, and the Department is advised to proceed with diligence ensuring that loss to the Government is avoided.

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1584/41- 92-10/89, दिनांक 30.03.1992, शासनादेश संख्या-2287/41-92-10/89, दिनांक 26.06.1992, शासनादेश संख्या-63/41-93-10/89, दिनांक 23.03.1993, तथा उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० एवं श्रीमंत जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज (वर्तमान में मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०) के बीच हुए अनुबन्ध दिनांक 18.07.1992 के क्रम में तथा आपसे प्राप्त प्रस्ताव/संशोधित लीज डीड पर सम्यक् विचारोपरान्त आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शंकुल हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० एवं श्रीमंत जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज (वर्तमान में मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०) के मध्य अनुबन्ध अवधि 30 वर्षों हेतु विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि वित्त विभाग के उक्त परामर्श के दृष्टिगत लीज डीड विस्तारीकरण के निष्पादन में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथ्यों का समाधान/पुष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मैश्राम)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।